15.4.25 प्रार्थी अभि. उपस्थित/ तामील

28.4.25

अनुभाग पदाधिकारी उदयपुर/ श्रीमान
अधिकारी स्वतंत्र राजकार्य के
होने से प्रकरण दिनांक 9/6/25
को पेश हों।

आज्ञा से
रीडर

9.6.25 पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण
का मूलवाद 09 RS के तहत अदम तामील तकमील से
खारिज हो चुका है। हस्तगत प्रकरण में भी तामील शेष है।
मूलवाद खारिज होने से हस्तगत प्रकरण में अब कोई
कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः प्रार्थना पत्र भी इसी स्तर पर 09 RS के तहत
खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।
प्रकरण फैसल शुमार दफ्तर नम्बर से कम हो।

(सोनिका कुमारी)
IAS